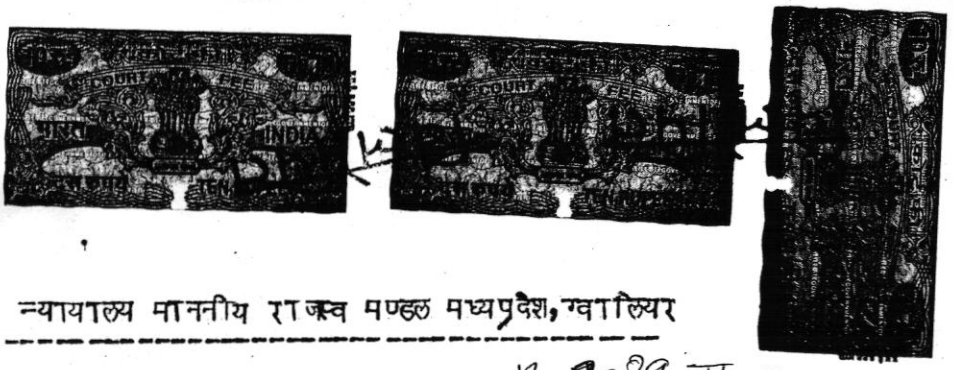

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२०१७ निगरानी R 7089-II 17

श्री ... द्वारा आज दि. 1-5-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वसंत कुमार पुत्र श्री रामकुमार शर्मा,
निवासी ग्राम अजनौधा तेहसील मेंहगांव,
जिला भिन्ड-म०प्र० ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन -------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश कलेक्टर आफ स्टाम्प्स् दिनांक १८-०३-१७ अन्तर्गत धारा ५६ स्टाम्प एक्ट । प्र०। रिफण्ड प्र०क्र० १६।बी-१३२।२०१६-१७।धारा ४९-५०

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विवाद होने से विलेख का पंजियन नहीं हो सका है ऐसी स्थिति में धारा ५० जिसका उल्लेख विवादित आदेश में किया गया है, के अनुसार भी रिफण्ड का आवेदन कानूनन स्वीकार किया जाना चाहिये था ।

४- यह कि, रिफण्ड हेतु प्रार्थी ने जो कारण अपने आवेदन पत्र में अंकित किया है, उन पर समुचित विचार नहीं किया गया है ।

५- यह कि, रिफण्ड आवेदन पत्र को समयावधि अर्थात समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत होना मानने में भूल की गई है ।

६- यह कि, विवादित आदेश अनुमानों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

७- यह कि, शेष आपत्तियां समक्ष में निवेदन की जावेंगी ।

क्रमशः--२

XXIX(अ)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-7089-दो/17 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/06/19	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 19/सी-132/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2017 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा-56 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नॉन ज्यूडिशियल ई-स्टाम्प वापसी हेत एक आवेदन पत्र सम्पदा एप्लीकेशन के माध्यम से दिनांक 19.01.2017 को ऑनलाइन आवेदन कर अनुरोध किया गया। एवं मैन्युअली रूप से जिसे दिनांक 20.01.2017 को प्रस्तुत किया गया। जिसका अनुरोध नंबर RR 01040120170413 है। जिसे कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 18.03.2017 द्वारा अवधि वाह्य होकर निरसत किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विवाद होने से विलेख का पंजीयन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में धारा 50 जिसका उल्लेख विवादित आदेश में किया गया है, के अनुसार भी रिफण्ड का आवेदन कानूनन स्वीकार किया जाना चाहिए था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि रिफण्ड आवेदन पत्र को समयावधि अर्थात समय सीमा के पश्चात प्रस्तुत होना मानने में भूल की गई है। 4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा ई-स्टाम्प दिनांक 28.09.2016 का जनरेट किए गए तथा रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19.01.2017 को विलंब से प्रस्तुत किया गया है। रिफंड आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा 2 माह में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई समाधानकारक कारण नहीं दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	